

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इत्दादाई
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

किशनसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
-वादी-

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र शेरसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
2. राजूसिंह पुत्र शेरसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
3. तारासिंह पुत्र शेरसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
4. राजपालसिंह पुत्र शेरसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तह. वा जिला चूरु
5. किरणकंवर पुत्री शेरसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
6. गीताकंवर पुत्री शेरसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
7. रतनकंवर पुत्री शेरसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
8. विनोदकंवर पुत्री शेरसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
9. राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तह. वा जिला चूरु
10. सुमेरसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
11. करणीसिंह पुत्र फूलसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
12. मंगेजकंवर पुत्री फूलसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
13. मणीकंवर पत्नी फूलसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
14. राजूकंवर पुत्री फूलसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील वा जिला चूरु
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरु

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट
मुकदमा नं. 01/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री
ऋषिराजसिंह एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व श्री कृपालसिंह राठौड अधिवक्ता
प्रतिवादीगण सं 1 वा 10 वा प्रतिवादी सं 15 पैरोकार राज मिनजानिब मुदाएलह पेश
होकर हुक्म दिया जाता है वा डिक्री दी जाती है कि-

उप खण्ड अधिकारी
चूरु



तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि ख.नं. 396/299 तादादी 0.9864 हैक्टेयर रोही ग्राम चलकोई बीकान में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 14 का खाता विभाजन किया जाकर खाता व लगान निम्नानुसार अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार मय विवरण	ख.नं.	तादादी है० में	लगान
1.	किशनसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान खातेदार	396/299 मिन	0.2466 है०	0.29
2.	भंवरसिंह, राजूसिंह, तारासिंह, राजपालसिंह, किरणकंवर, गीताकंवर, रतनकंवर, विनोदकंवर पि० शेरसिंह ब. हि.ब. 1/3 हिस्सा व राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह 1/6 हिस्सा, सुमेरसिंह पुत्र नानूसिंह 1/6 हिस्सा, करणीसिंह, मंगेजकंवर, राजूकंवर पि० फूलसिंह व मणीकंवर पत्नी फूलसिंह ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान खातेदार	396/299 मिन	0.7398 है०	0.88



तहसीलदार, चूरु को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11 माह फरवरी सन् 2019 को जारी की गई।

(
उपखण्ड अधिकारी
चूरु